

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 518]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 2013—कार्तिक 21, शक 1935

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2013

फा. क्र. 21-2013-चार-773.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 434-MP-LA/2013, दिनांक 2 नवम्बर 2013 एवं सं. 434-एम.पी.-एल.ए.-2013, दिनांक 2 नवम्बर 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, अपर सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 2 नवम्बर 2013, 11 कार्तिक, 1935 (शक)

संशोधन-पत्र

संख्या 434-एम.पी.-एल.ए.-2013—रिटर्निंग अधिकारियों की पदनामित करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. 434-म.प्र.-वि.स.-2013 के हिन्दी रूपांतर के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में मौजूदा प्रविष्टि “174 बागली (अ.जा.)” को “174 बागली (अ.ज.जा.)” के रूप में पढ़ा जाएगा.

आदेश से,

हस्ता./-

(बर्नाड जॉन)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 2nd November, 2013, 11, Kartika, 1935 (SAKA)

CORRIGENDUM

No. 434-MP-LA-2013.—In Column (1) of the table appended to the Hindi version of Election Commission of India's Notification No. 434-MP-LA-2013, dated 31st October, 2013 regarding designating of Returning Officers, the existing entry “174 बागली (अ.जा.)” shall be read as “174 बागली (अ.ज.जा.)”.

By order,

Sd/-
(BERNARD JOHN)
Secretary.